NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

NO. 155 / NCRES / 20

दिनांक 11.8.2020

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषयः– रेलवे कर्मचारियों हेतु मेडिकल इन्श्योरेन्स स्कीम के सम्बन्ध में सुझाव।
संदर्भः– रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(W)2020/Misc/Dashboard-Insurance दिनांक 04.8.2020

महोदय,

NCRES का मानना है कि रेल कर्मचारियों के लिये वर्तमान की RELHS ही ज्यादा सुविधाजनक है।

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 4.8.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस विश्वव्यापी महामारी के समय रेल कर्मचारियों के अलावा जिन लोगो ने पहले से ही अपना "स्वास्थ्य बीमा" कराया था उन्हें Covid-19 संक्रमण के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिये दर–दर भटकना पड़ा, क्यो कि सभी स्वास्थ्य केन्द्र, किसी न किसी बहाने इलाज करने से मना करते रहे और नर्सिंग होम एडवान्स नगद भुगतान पर ही इलाज कर रहे थे, ऐसी स्थिति में NCRES का सुझाव है कि रेल कर्मचारियों के हित में RELHS की वर्तमान व्यवस्था हर स्थिति में जारी रहना चाहिये।

दोनो स्कीम में निम्न अन्तर है, जिस पर गौर किया जा सकता है।

क्रम	RELHS स्कीम	इन्श्योरेन्स स्कीम
1	इस स्कीम में कर्मचारी के इलाज में लगने वाले खर्च की कोई सीमा नही होती।	इन्शयोरेन्स स्कीम में एक सीमा के अन्दर ही हुआ खर्च इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा दिया जाता है।
2	इस स्कीम में रेलवे एक थर्ड पार्टी के रूप में है, इसलिये कर्मचारियों को रिफर होने पर भुगतान की समस्या का सामना नही करना पड़ता।	इस स्कीम में प्रत्येक कर्मचारी को इन्श्योरेन्स कम्पनी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा एवं उसके द्वारा भुगतान न करने पर कर्मचारी की कोई सुनवाई नही होगी एवं स्वंय भुगतान को विवश होना पड़ेगा।
3	इस पत्र में यह भी स्पष्ट नही है कि क्या रेलवे हास्पिटल की वर्तमान व्यवस्था जो कि साधारण बीमारी हेतु Outdoor एवं Indoor दी जाती है व लागू रहेगी की नही।	इस स्कीम में साधारण बीमारी हेतु, यदि रेल कर्मचारियों को CGHS हास्पिटल के भरोसे छोड़ा गया तो रेल के 12 लाख कर्मचारियों को कई समस्यायो का सामना करना पड़ेगा।
4	NFIR की मांग के अनुसार इस स्कीम में कर्मचारी के माता–पिता को शामिल किये जाने की उम्मीद है।	इस स्कीम में कर्मचारी के माता–पिता को शामिल किये जाने की कोई सम्भावना नही है।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री